№ 108883

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21. 1860)

संख्या 471 वर्ष 2001 - 2002.

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि

राजेन्द्र प्रसाद शैक्षणिक संस्था

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख उन्नीस मास जून वर्ष दो हजार एक को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

02.7.01

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, झारखण्ड, राँची ।

गवर्नमेंट प्रेस, राँची ।

Principal
Dr. Rajendra Pd. Public School
Sector - VIII/B, Bhagalpur More,
Near Street-17, Ranipokhar,
Bokaro Steel City - 827009 (Jharkhand)

Dr. Rajendra Prasad Public School
BOKARO
Sec.-VIII/B, Ranipokhar

Secretary
R. Prasad Shaishanik Sansthan

Scanned by CamScanner

(3)

पत्रांक : 1/JS[1] 1308

झारखण्ड सरकार
निबंधन विभाग ।

प्रेषक,

मो॰ युसूफ,
सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सचिव / अध्यक्ष,

आर॰ प्रसाद शैक्षणिक संस्थान
म॰ न॰ - एच॰ डी॰-25/ [illegible]
मु॰ - जनहित ... [illegible]
पो॰ - जनहित, जिला बोकारो

राँची, दिनांक : 06.9.11

विषय :- स्मृति--पत्र एवं नियमावली की अभिप्रमाणित प्रति निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन के आलोक मे निबंधित संस्था के स्मृति–पत्र एवं नियमावली की छाया–प्रति की अभिप्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनु॰– यथोक्त ।

विश्वासभाजन

6.9.11

सहायक निबंधन महानिरीक्षक
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

Dr. Rajendra Prasad Public School
BOKARO
Sec.-VIII/B, Ranipokhar

Principal
Dr. Rajendra Pd. Public School
Sector - VIII/B, Bhagalpur More,
Near Street-17, Ranipokhar,
Bokaro Steel City - 827009 (Jharkhand)

Secretary
R. Prasad Shaishanik Sansthan

Certified Copy Forwarding

(4)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

02AA 609067

Dr. Rajendra Prasad Public School BOKARO Sec.-VIII/B, Ranipokhar

Principal
Dr. Rajendra Pd. Public School
Sector - VIII/B, Bhagalpur More,
Near Street-17, Ranipokhar,
Bokaro Steel City - 827009 (Jharkhand)

6-9-11

Secretary
B. Prasad Shaishanik Sar

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड

" आर० प्रसाद शैक्षणिक संस्था "

की

नियमावली

1. परिभाषा

(क)	संस्था से अभिप्राय है	:– " **आर० प्रसाद शैक्षणिक संस्था,** "
ख)	समिति से अभिप्राय है	:– संस्था की कार्यकारिणी समिति
(ग)	वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है	:– 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
(घ).	आम सभा से अभिप्राय है	:– संस्था के सभी सदस्यों से बनी सभा
ङ)	पदाधिकारी से अभिप्राय है	:– अध्यक्ष ,सचिव,एवं कोषाध्यक्ष,
(च)	अधिनियम से अभिप्राय है	:– संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860

2. **संस्था की सदस्यता की शर्तें :–**

(क) जो व्यक्ति 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के होंगे तथा संस्था के नियमों एंव उद्देष्यों का पालन करेंगे, मात्र 101 रूपया प्रवेष शुल्क देकर संस्था सदस्य बन सकते है। सदस्य बनने के लिये विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा जिस पर समिति कि स्वीकृति का निर्णय देने का अधिकार कार्यकारिणी समिति के पास सुरक्षित रहेगी।

(ख) प्रत्येक सदस्यों को प्रतिमाह 21 रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में संस्था कोष में जमाकर प्राप्ति रशीद प्राप्त करेंगें।

3. संस्था की सदस्यता की समाप्ति :–

(क) लगातार तीन माह तक सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।

(ख) स्वयं त्याग पत्र देने पर तथा संस्था के विरूद्ध कार्य करने पर।

(ग) पागल या मृत्यु हो जाने पर।

(घ) बैठक में अविष्वास प्रस्ताव होने पर।

4. **कार्यकारिणी समिति का गठन :–**

(i) संस्था की कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारीयों सहित कुल सात सदस्य होगें जिनका कार्यकाल पॉच वर्षो का होगा।

(ii) समिति का गठन (कार्यकाल) तीन वर्षो का होगा। जबतक पुनः चुनाव नहीं हो जाता तब तक पुरानी समिति ही कार्य करती रहेगी, किन्तु इसकी कार्य अवधि किसी भी परिस्थिति में छः महीनों से अधिक की नहीं होगी।

(iii) यदि समिति में पदाधिकारी का सदस्य का कोई भी स्थान रिक्त होगा तो समिति उक्त पद पर शेष अवधि के लिए किसी अन्य सदस्य को मनोनित कर सकती है किन्तु वार्षिक बैठक में इसका विधिवत चुनाव करा देना होगा।

(iv) संस्था में पदाधिकारीयों एंव सदस्यों का चुनाव आम सभा में होगा।

5. **कार्यकारिणी समिति का कार्य एवं अधिकार :–**

(क) संस्था के सभी चल एंव अचल सम्पति का उत्तरदायी होगा।

(ख) संस्था के सभी कार्यो का सम्पादन विधिवत करना और प्रस्ताव पारित करना।

(ग) उद्देष्य की पुर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

(घ) संस्था के लिए भवन , भूमि एंव अन्य उपस्कार की व्यवस्था करना।

(ड) संस्था का भवन , भूमि का मौर्ग्रेज लीज , खरीद बिक्री करना।

(च) उप – शाखा का गठन करना।

6. **पदाधिकारियों का कार्य एंव अधिकार**

(i) अध्यक्ष

(क) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।

(ख) आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत देना।

(ग) कार्यवाही पंजी पर हस्ताक्षर करना।

Principal
Dr. Rajendra Pd. Public School
Sector - VIII/B, Bhagalpur More,
Near Street 17, Ranipokhar
Bokaro Steel City - 827
Dr. Rajendra Prasad Public School BOKARO
Secretary
R. Prasad Shaikshanik Sansthan

श्यामदेवी प्रसाद गुप्ता

(घ) संस्था के उद्देष्यों के पुर्ति में होने वाले आवष्यक व्यय करना।
(ङ) संस्था के आय-- व्यय की जांच करना तथा रोकड़ पंजी पर हस्ताक्षर करना।

(ii) सचिव

(क) समिति के बैठक का आयोजन करना।
(ख) कार्यवाही पुस्तिका में कार्यवाहियों को लिखना।
(ग) सभी प्रकार के पंजियों का अद्यतन रखना।
(घ) आवश्यकता पड़ने पर सचिव किसी भी समय 2500/ रूपये तक खर्च कर सकते है जिसकी स्वीकृति अध्यक्ष की सहमति से एंव कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में ले लेना आवष्यक होगा।

(iii) कोषाध्यक्ष

(क) संस्था के आय – व्यय का हिसाब रखना।
(ख) संस्था के नाम प्राप्त आय की रषीद काटना।
(ग) संस्था के हित में अधिक से अधिक धन संग्रह करना।
(घ) वार्षिक लेखा – जोखा आमसभा में सभी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना एंव आय–व्यय का लेखा अंकेक्षण कराना। अनुपस्थिति में सभी कार्य को देखना

7. आमसभा की कार्य एवं अधिकार :–

(क) पदाधिकारीयो सहित कार्यकारिणी के सदस्यो का निर्वाचन करना ।
(ख) संस्था की योजना ,बजट,अंकेक्षित लेखा एवं प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना।
(ग) संस्था की लेखाके अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।
(घ) संस्था के स्मृति पत्र एवं निमावली में संशोधन करना।
(ङ) संस्था के विघटन पर निर्णय लेना।
(च) अध्यक्ष की अनूमति से अन्य विषयो पर विचार करना तथा उपनियम बनाना।

8. आमसभा की बैठकें :–

(क) आमसभा की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा आमसभा की विषेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।
(ख) आमसभा के 1/3 सदस्यों के लिखित मांग , जिसमें अधियाचना करने वाले सदस्यों का हस्ताक्षर एंव बैठक में विचारणीय बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पर अधियाचना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर संस्था के सचिव को आमसभा की बैठक बुलानी होगी। यदि तीस दिनों के भीतर सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलाई जायेगी तब अधियाचना करने वाले सदस्यों को अधिकार होगा कि वे आमसभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजकर आमसभा की अधियाचित बैठक अधियाचना में अंकित विषय पर निर्णय ले सकते है ।
(ग) कोरम :– आमसभा की सभी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक होगी. 50% +1
(घ) आमसभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम से कम दस दिनो पूर्व दी जायेगी । बैठक की सूचना निबंधित /साधारण डाक या सूचनाबही से हस्ताक्षर प्राप्त करके दी जायेगी

9. कार्यकारिणी समिति की बैठकें :–

(क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में चार बार होगी।
(ख) आवष्य बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

Principal
Dr. Rajendra Pd. Public School
Sector - VIII/B, Bhagalpur More,
Near Street-17, Ranipokhar,
Bokaro Steel City - 827009 (Jharkhand)

Secretary

10. आय का श्रोत :–
(क) सदस्यता शुल्क एंव प्रवेष शुल्क ।
(ख) संस्था द्वारा उत्पादित वस्तु।
(ग) दान अनुदान एंव ऋण ।
(घ) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने से।

11. **कोष की व्यवस्था / बैंक खाते का संचालन :–**
(क) संस्था के प्राप्त होने वाले सभी राषियाँ संस्था के नाम किसी बैंक में खुले खाते में रखी जाएगी तथा किसी भी रकम की निकासी संस्था के सचिव एंव कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर की जाएगी।

12. **अंकेक्षण**
(क) संस्था की लेखा का संधारण नियमित रुप से रखा जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षण से उसका अंकेक्षण कराया जाएगा ।
(ख) निबंधन महानिरीक्षक , झारखण्ड , रांची जब भी चाहें संस्था की लेखा का अंकेक्षण किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है , जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

13. **संशोधन** :– संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में कोई भी संषोधन संस्था की आनसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारति करने पर ही किया जाएगा तथा संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की संगत धारा एंव झारखण्ड संस्था नियमावली के संगत नियम का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

14. **पंजी का निरीक्षण** :– संस्था की सभी पंजियों संस्था के निबंधित कार्यालय में संस्था के सचिव के जिम्में रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य/ सरकारी अधिकारी सचिव की पूर्व अनुमति से उनका निरीक्षण कर सकते है ।

15. **कानूनी कार्रवाई** :– संस्था द्वारा या संस्था के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई संस्था के सचिव के पदनाम से होगी।

16. **संस्था का विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पति की व्यवस्था :–**
(i) संस्था का विघटन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।
(ii) विघटन के उपरान्त , जो समिति , ऋण एंव दायित्व के चुकाने के बाद होगी । वह सदस्यों के या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी । बल्कि सामान्य उद्धेष्यों वाली दूसरी संस्था या सरकार को आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से दी जायेगी । जिसके विषय में इस नियमावली में उपलब्ध नहीं है । सोसायटी रजिस्ट्रेषन ऐक्ट 21,1860 के उपबंधक के अनुसार लागू होगें।
(iii) संस्था के विघटन के समय संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की धारा – 13 एवं 14 पूर्णतः पालन किया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नामक संस्था की नियमावली की सच्ची प्रति है ।

कोषाध्यक्ष	सचिव	अध्यक्ष

Principal
Dr. Rajendra Pd. Public School
Sector - VIII/B, Bhagalpur More,
Near Street-17, Ranipokhar,
Bokaro Steel City - 827009 (Jharkhand)

Dr. Rajendra Prasad Public School BOKARO Sec.-VIII/B, Ranipokhar

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

Secretary

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड

" आर0 प्रसाद शैक्षणिक संस्था "

का

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : " आर0 प्रसाद शैक्षणिक संस्था "
2. संस्था का निबंधित कार्यालय : मं0 सं0–एच0–इ0–25 / सी0सी0,
   मुहल्ला–जनवृत–4,
   पो+थाना– जनवृत,जिला–बोकारो,(झारखण्ड) ।
3. कार्यक्षेत्र : इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड
   राज्य होगा।
4. संस्था का उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य रहेंगे।

(क) कृषि के क्षेत्र में सम्बधित सामग्री अर्थात खाद्य, बीज का प्रबन्ध करना तथा कृषको को रोजगार सृजन हेतु पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, घृत मक्खन का निर्माण, डेयरी फार्म, स्थापित करना सदस्यों के लिए सुलभ सामग्री उपलब्ध कराना, मधुमक्खी पालन, लघु उधोग, कुटीर उधोग, का संचालन तथा प्रशिक्षण देना। महिलाओं को स्वनियोजन के लिए सिलाई, कटाई, बुनाई, कशीदाकारी [illegible] प्रशिक्षण देना। स्वास्थ के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर व्यापक सुधार लाने हेतु जागरुकता कार्यक्रम केन्द्रों की स्थापना करना तथा इनका प्रचार–प्रसार करना। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण संस्थान खोलना तथा शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना। संस्कृत शिक्षा, पौढ़ शिक्षा, रात्री पाठशाला आदि की स्थापना कर निरक्षरता दूर करना। उर्जा के क्षेत्र में सौर उर्जा एवं बायोगैस संयत्र की स्थापना [illegible] उपयोग एवम् होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देना तथा इसके स्थापना में मदद् करना। [illegible] कार्यक्रम का कृयान्वयन एवं सहयोग करना।

ख) महत्मा गाँधी के विचारो पर अधारीत समाज का सर्वांगीण विकास करना। [illegible] संचालित जन वितरण प्रनाली दुकान चलाना (क) बाल स्वास्थ्य एवं बाल शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जच्चा -- बच्चा टिकाकरण, कुपोषण संक्रामक रोगों (एड्स, टीबी, हैजा, प्लेग इत्यादि) [illegible] कार्यक्रम , गरीब एवं लाचार बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा केन्द्र , आवासीय [illegible] करना , विकलांग एवं अनाथ बच्चों तथा महिलाओं को हर तरह की मानवीय सहायता पहुँचाना। [illegible] अपराध रोकने हेतु हर सम्भव प्रयास करना एवं लोगों को कानून के प्रति जागरूक [illegible] अपराध जगत में जानेवाले नवयुवकों को मुख्य धारा में लाने के सामाजिक कार्य करना [illegible] करना।कृषि के क्षेत्र में सम्बधित सामग्री अर्थात खाद्य, बीज का प्रबन्ध करना [illegible] सृजन हेतु पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, घृत मक्खन का निर्माण, डेयरी फार्म, स्थापित करना।

ग) महिलाओं एवं बेरोजगारों के सहायतार्थ तथा बेरोजगारी नियंत्रण हेतु स्वयं सहायता [illegible] व्यवसायिक प्रशिक्षण देना , जैसे – सिलाई , बुनाई , काशीदाकारी , पेंटिग , गुडिया , एवं [illegible] निर्माण ब्युटिशियन , [illegible] , [illegible] , रिपेरिंग हेतु प्रशिक्षित करना । असहाय , विधवा एवं वृद्ध लोगों के कल्याणार्थ ओल्ड ऐज होम , औषधालय की व्यवस्था करना। अनुसूचित जाति /जनजाति के उत्थान हेतु कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना तथा विलुप्त होते जनजातियों के अस्तित्व की रक्षा हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन । पर्यावरण संरक्षण हेतु जल , वायु को प्रदुषण मुक्त रखने हेतु कार्यक्रम करना तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। स्वास्थ के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर व्यापक सुधार लाने हुतु जागरुकता कार्यक्रम केन्द्रों की स्थापना करना तथा इनका प्रचार--प्रसार करना। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण संस्थान खोलना तथा शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना संस्कृत शिक्षा, पौढ शिक्षा, रात्री पाठशाला आदि की स्थापना कर निरक्षरता दूर करना।ग्रामीण इलाके के बच्चो एवं बच्चीयो के लिए माध्यनिक षिक्षा एवं उच्च षिक्षा की व्यवस्था करना। साथ ही कामकाजी महिलाओ एवं एवं पुरुषो के जिए रात्रि पाटषाला की व्यवस्था करना । असहाय गरीब, महिलाओ, विशेष कर जरूरतमंद महिलाओ के कल्याण एवं स्वालम्बन हेतु विद्यालय, [illegible] उद्योग, लघु उधोग की स्थापना तथा प्रषिक्षण की व्यवस्था करना। समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के उन्मूलन [illegible] मैरेज ब्युरो की स्थापना करना। साथ ही समिति के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना। राज्य के [illegible] इलाको में पर्यावरण की रक्षा हेतू संघन वृक्षा रोपण कार्यक्रम चलाना [illegible] कृषि के लिए बीज अनुसंधान केन्द्र की स्थापना एवं कृषिको को कृषि के लिए उन्नत विधि एवं तकनीक उपलब्ध कराना ।

Principal
Dr. Rajendra Pd. Public School
Sector - VIII/B, Bhagalpur More,
Near Street-17, Ranipokhar,
Bokaro Steel City - 827009 (Jharkhand)

Dr. Rajendra Prasad Public School BOKARO Sec.-VIII/B, Ranipokhar

Secretary
R. Prasad Shaikshanik

6. आकांक्षी व्यक्तियों की सूची एवं विवरण :

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता / पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत उस संस्था के निबंधन के आकांक्षी हैं :—

क्र0	पूरा नाम, पिता / पति का पूरा नाम	पूर्ण पता, मकान	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो
1	नाम – श्रीमति रूपम कुमारी पति – श्री मुकेश कुमार	म0स0–72 गली/मो0– रानी पोखर ,पो0–बैधामारा थाना–हसता जिला –बोकारो पिन –827009	29	स्नातक	समाज सेविका	
2	नाम–श्री श्यामदेनी प्रसाद गुप्ता पिता – स्व0 ठाकुर प्रसाद	म0 स0 –1 सेक्टर –9सी0 पो0–सेक्टर –9 जिला –बोकारो पिन –827009	53	मैट्रिक	समाज सेवा	
3	नाम –श्री विकास कुमार पिता –श्री महेन्द्र पंडित	ग्राम –गेमन कॉलोनी फेब्रीकेशन रोड पो0 – माराफारी थाना– माराफारी जिला – बोकारो	27	स्नातक	समाज सेवा	
4	नाम –श्री नितेश कुमार प्रसाद पिता –श्री राज मंगल प्रसाद	ग्राम–सेक्टर 9 डी0 एस 0टी0–36 क्वा0 न0 – 872 पो0– बोकारो थाना – बोकारो जिला –बोकारो	28	स्नातक	समाज सेवा	

Principal
Dr. Rajendra Pd. Public School
Sector - VIII/B, Bhagalpur More,
Near Street-17, Ranipokhar,
Bokaro Steel City - 827009 (Jharkhand)

Dr. Rajendra Prasad Public School
BOKARO
Sec. VIII/B, Ranipokhar

Secretary
... Prasad Shaishanik San...

5.	नाम–श्री पहलु महतो पिता–स्व0 मुकुन्द महतो	ग्राम–रामडीह रानी पोखर, पो0–बैधमारा थाना हरला जिला–बोकारो (झारखण्ड) पिन–827009	45	इन्टर	समाज सेवा	
6.	नाम–श्री वंशीधर हेमरम पिता– श्री शम्भु मॉझी	पो0:–कोडरमा पो0:–उतासारा, पटेरबार ,बोकारो (झारखण्ड)	37	इन्टर	समाज सेवा	
7	नाम–श्री प्रेम कुमार रजक पिता–स्व0राजेन्द्र रजक	मकान नं0–2103 सेक्टर–9, डी0 ए0 / रोड–बोकारो स्टील सिटी (झारखण्ड)	27	इन्टर	समाज सेवा	

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति जिनका फोटो उपर चिपका है तथा हस्ताक्षरउपर अंकित है, मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।

BOKARO

Principal
Dr. Rajendra Pd. Public School
Sector - VIII/B, Bhagalpur More,
Near Street-17, Ranipokhar,
Bokaro Steel City - 827009 (Jharkhand)

Secretary

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।